रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 2006/वैशाख 6, 1928

No. 416] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 2006/VAISAKHA 6, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2006

का. आ. 617(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मॉडल नियम बनाती है:--

1. **संक्षिप्त नाम व लागू होने की तिथि:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) केन्द्रीय मॉडल नियम, 2006 है ।

(2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं:** इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) "अधिनियम" से प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,

(ख) "अभिकरण" से प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अभिप्रेत है,

(ग) "नियंत्रक प्राधिकारी" से, अधिनियम के अधीन ऐसा घोषित नियंत्रक प्राधिकारी, अभिप्रेत है,

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है,

(ड.) "अनुज्ञप्ति" से अधिनियम के अन्तर्गत अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ।

(च) इन विनियमनों में जिन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया परंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके भी वही अर्थ होंगे जैसा कि उन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है ।

3. **आवेदकों से पूर्ववृत्त का सत्यापन:**

(1) अनुज्ञप्ति के निर्गम हेतु प्रत्येक आवेदक अपने पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए **प्ररूप 1** को पूरा करेगा और नई अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने अथवा इसके नवीकरण के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ इसे संलग्न करेगा । किसी कंपनी के मामले में, आवेदक प्रत्येक स्वत्वधारी, बहुसंख्यक शेयरधारक, साझेदार और कंपनी निदेशक का भी भरा गया **प्ररूप 1**, मानों वे भी आवेदक हैं, संलग्न करेगा ।

(2) आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात नियंत्रक प्राधिकारी, आवेदक के ब्यौरे तथा आवेदन पत्र की विषय-वस्तु के सत्यापन के लिए जैसी आवश्यकता समझे वैसी जाँच कर सकेगा ।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी जिले के जिला पुलिस अधीक्षक से, जहाँ प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का आशय अपनी गतिविधियां आरंभ करने का है, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा । इस प्रयोजन के लिए, वह अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र और उसके संलग्नक की एक प्रति सत्यापन और रिपोर्ट के लिए उसे भेजेगा ।

(4) जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक व्यक्ति, जिसके नाम पूर्ववृत्त प्ररूप भरा जाता है, के पूर्ववृत्त के सत्यापन कराने के साथ-साथ, निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत करेगाः

(i) क्या आवेदक अथवा कंपनी ने या तो व्यक्तिशः या अन्य की साझेदारी में पूर्वतर में कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का संचालन किया, यदि ऐसा है तो उसका विवरण, और

(ii) क्या आवेदक के पास कोई विशेष अर्हता अथवा दक्षता है, जिससे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के संचालन में उसे सुविधा मिल सके ।

निजी सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापनः

(1) इससे पूर्व कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड अथवा पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त अथवा काम पर रखा जाए, अभिकरण निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक रीति से व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त के बारे में स्वयं को समाधान करेगी--

(क) अभिकरण व्यक्ति के चरित्र तथा पूर्ववृत्त का स्वयं सत्यापन कर सकेगा ।

(ख) अभिकरण व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चरित्र तथा पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र पर, जो विहित है, निर्भर कर सकेगा परंतु वह विधिमान्य हो और अभिकरण के पास किसी अन्य स्रोत से व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो ।

(ग) अभिकरण पुलिस प्राधिकारी से प्राप्त चरित्र तथा पूर्ववृत्त रिपोर्ट पर भरोसा कर सकेगा परंतु वह जिला पुलिस अधीक्षक या उसके समकक्ष अधिकारी अथवा उससे उच्च रैंक के प्राधिकारी के हस्ताक्षर से हो ।

(2) नियोजन पाने का इच्छुक व्यक्ति या अभिकरण द्वारा लगा व्यक्ति **प्ररूप 2** भरेगा । पिछले पाँच वर्षों के दौरान एक से अधिक जिलों में रहने वाले व्यक्ति के मामले में; प्ररूपों की संख्या ज़िलों की संख्या के अनुसार होगी । प्ररूप भरने के पश्चात, व्यक्ति अभिकरण को प्ररूप सौंप देगा ।

(3) सुरक्षा अभिकरण स्वयं प्ररूप में भरे गए ब्यौरों की सत्यता की जांच करेगा या प्ररूप को संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को भेजकर कराएगा ।

(4) राज्य सरकार प्ररूप और पुलिस द्वारा चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की सेवा के रूप में फीस जमा करने की रीति विहित कर सकेगी ।

(5) पुलिस व्यक्ति की पहचान सिद्ध करेगी और जहाँ व्यक्ति निवास कर चुकने अथवा निवास करने का दावा कर रहा है, उस स्थान पर जाकर वहाँ के सम्मानित निवासियों से उसकी पहचान स्थापित करेगी और उसकी ख्याति के बारे में सुनिश्चित करते हुए, व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त का सत्यापन करेगी । वे चरित्र व पूर्ववृत्त के सत्यापन की रिपोर्ट तैयार करने से पहले संबद्ध पुलिस स्टेशन के पुलिस अभिलेखों तथा जिला पुलिस मुख्यालय के अन्य अभिलेखों का भी अवलोकन करेगी । इस रिपोर्ट में व्यक्ति द्वारा चरित्र व पूर्ववृत्त प्ररूप में किए गए प्रत्येक दावे पर पुलिस की टिप्पणी, तथा सत्यापन अवधि में जीविका के साधन सहित उसकी गतिविधियों के बारे में एक सामान्य रिपोर्ट भी होगी । पुलिस यह विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिकथन करेगी कि क्या ऐसी समयावधि में व्यक्ति के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है अथवा कारावास के दण्डनीय अपराध के लिए उसके विरूद्ध सिद्ध दोष हुआ है ।

6. पुलिस विनिर्दिष्ट रूप से यह टिप्पणी करेगी कि क्या काम पर रखे जाने वाला या नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति, जो प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के सत्यापन के अधीन है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करेगा ।

7. पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट चरित्र और पूर्ववृत्त प्ररूप की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर जारी कर दी जाए ।

8. किसी व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त संबंधी पुलिस की रिपोर्ट को गोपनीय श्रेणी में रखा जाएगा । इसे चरित्र व पूर्ववृत्त के लिए अनुरोध करने वाली सुरक्षा अभिकरण के पदासित अधिकारी के नाम से होगी ।

9. एक बार चरित्र व पूर्ववृत्त रिपोर्ट के जारी होने के बाद यह तीन वर्षों तक विधिमान्य होगी ।

10. पुलिस सत्यापन के आधार पर अथवा उनके स्वयं द्वारा सत्यापन के आधार पर, सुरक्षा अभिकरण **प्ररूप 3** में व्यक्ति को चरित्र प्रमाणपत्र जारी करेगी । यह प्रमाणपत्र उस सुरक्षा अभिकरण के अधीन उस व्यक्ति के कर्मचारी न होने के बाद भी, सुरक्षा अभिकरण द्वारा वापस नहीं लिया जा सकेगा ।

5. **सुरक्षा प्रशिक्षण:--** (1) नियंत्रक प्राधिकारी, सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा । यह प्रशिक्षण न्यूनतम 20 दिनों की अवधि में दिया जाने वाला, न्यूनतम 100 घंटे की कक्षा में शिक्षण तथा 60 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा । भूतपूर्व सैनिको और पूर्व पुलिस कामिकों को केवल संघनित पाठ्यक्रम, न्यूनतम 40 घंटे कक्षा में निदेश और 16 घंटे फील्ड प्रशिक्षण होगा जो 7 कार्य दिवसों में होगा ।

(2) प्रशिक्षण में निम्न बिषय होंगे;

(क) जनता में आचरण और वर्दी को सही ढंग से धारण करना;

(ख) शारीरिक सक्षमता प्रशिक्षण;

(ग) शारीरिक की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, भवन/अपार्टमेंट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा;

(घ) अग्नि शमन;

(ड.) भीड़ नियंत्रण;

(च) पहचान पत्र, पासपोर्ट तथा स्मार्ट कार्ड सहित पहचान कागजातों की जाँच;

(छ) उम्मीदवार को अंग्रेजी अक्षरों तथा अरबी अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने योग्य होना चाहिए, जैसा कि सामान्यतया पहचान दस्तावेज़ो, शस्त्र अनुज्ञप्ति, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण शीट में आते हैं;

(ज) छुपी हुई विस्फोटक वस्तुओं की पहचान;

(झ) प्राथमिक चिकित्सा;

(ञ) संकट से निपटना और आपदा प्रबंधन;

(ट) रक्षात्मक ड्राइविंग (सशस्त्र गाड़ियों के ड्राइवर के लिए अनिवार्य तथा दूसरों के लिए वैकल्पिक);

(ठ) अर्जित आयुधों तथा अग्नेयास्त्र का उठाना-रखना और संचालन (वैकल्पिक);

(ड) भारतीय दण्ड संहिता का प्रारंभिक ज्ञान, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया, शस्त्र अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं), विस्फोटक अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं);

(ढ) पुलिस तथा सैन्य बलों के रैंक के बैज;

(ण) जनता और पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान;

(त) सुरक्षा उपकरण और युक्तियों का उपयोग (उदाहरण के लिए सुरक्षा अलार्म और स्क्रीनिंग उपकरण); और

(थ) नेतृत्व और प्रबंधन (केवल सुपरवाइजरों के लिए) ।

(2) सुरक्षा गार्ड को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा । प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संगठन द्वारा **प्ररूप 4** में एक प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण सुविधा के कृत्यों का निरीक्षण करेगा । सामान्यता ऐसा निरीक्षण प्रति वर्ष कम से कम दो बार किया जाएगा ।

(4) सभी प्रशिक्षण अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से सफल प्रशिक्षणार्थियों की एक सूची उसे प्रस्तुत करेंगे ।

6. **सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक मानदण्डः**

(1) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा नियुक्त या काम पर रखे गए प्राइवेट सुरक्षा गार्ड नीचे दिए गए शारीरिक मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगेः

(क) क़द, 160 से.मी. (महिला 150 से.मी.), वज़न क़द-वज़न की मानक सारणी के अनसार, सीना 80 से.मी. जो 04 से.मी. फूलना चाहिए (महिलाओं के लिए सीना माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है),

(ख) नेत्र दृष्टि-- दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 चश्मे अथवा इसके बिना, वर्णांधता से मुक्त, सुरक्षा उपकरणों के प्रदर्श में रंगों को विभेद और पहचान करने और अंग्रेजी अक्षरों तथा प्रदर्श में अरबी के अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए ।

(ग) संहतज़ानुक (knock-knee) और चिपटा पैर से मुक्त ; छह मिनट में एक किलोमीटर तक दौड़ने योग्य ।

(घ) श्रवणः दोष से मुक्त हो; सुनने और बोलने की आवाज़ का उत्तर देने तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पन्न अलार्म पर प्रतिक्रिया करने योग्य हो ।

(ड.) उम्मीदवार तलाशी लेने, वस्तुओं को हाथ में लेने और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने के लिए कुशल और समर्थ हो ।

(2) उम्मीदवार किसी छुआ-छूत की बीमारी अथवा उसके लक्षण से मुक्त हो । वह ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त न हो जिसका उसकी सेवा के दौरान बढ़ने की आशंका हो या जिससे वह सेवा के लिए अनुपयुक्त हो जाए या जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाए ।

(3) अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पास कार्यरत प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की किसी स्वास्थ्य परीक्षा के प्रत्येक 12 माह पश्चात, उसकी अन्तिम ऐसी स्वास्थ्य जाँच की जाती है ताकि उसके प्रवेश के समय निर्धारित शारीरिक मानदण्ड का सतत् अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके ।

7. **सुपरवाइज़रों के लिए उपबंधः**

(1) 15 से अनधिक प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के कार्य का पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक होगा ।

(2) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड विभिन्न परिसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर हैं की दशा में और एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना व्यवहार्य न हो तो अभिकरण अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों को तैनात करेगी ताकि कम से कम प्रत्येक छह सुरक्षा गार्डों की सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण के लिए, एक पर्यवेक्षक उपलब्ध हो ।

8. **अनुज्ञप्ति को अनुदत्त तथा नवीकरणः**

(1) किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को **प्ररूप 5** के विहित रूप में अधिनियम की धारा 7 के खंड (1) के अधीन किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित आवेदन के साथ, जहाँ आवेदन किया जा रहा है, संबद्ध राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी को संदेय, धारा 7 के खंड 3 के अधीन विहित मांगदेय ड्राफ्ट अथवा बैंकर चेक फीस के भुगतान के रूप में जमा किया जाएगा ।

(3) उपनियम (1) में संदर्भित प्रत्येक आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को या तो व्यक्तिशः अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा ।

(4) उपनियम (1) में संदर्भित आवेदन प्राप्त करने व आवेदन प्राप्ति की तिथि नोट करने के पश्चात नियंत्रक प्राधिकारी आवेदक को एक पावती देगा ।

9. **अनुज्ञप्ति का अनुदत्त**-- नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति के पश्चात, नियंत्रक प्राधिकारी आवेदक की उपयुक्तता के बारे में तथा आवेदित कार्य-क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने की आवश्यकता के बारे में भी स्वयं को समाधान करेगा, तथा सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, **प्ररूप 6** में सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा ।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी, स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और सुपरवाइजरों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण तथा दक्षता का सत्यापन कर सकेगा ।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की अनुज्ञप्ति को जारी रखने अथवा अन्यथा का पुनर्विलोकन कर सकेगा जिन्होंने अपेक्षित प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने की शर्तों का अनुपालन न किया हो ।

10. **अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शर्तें:** (1) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित समयावधि के भीतर प्राइवेट सुरक्षा सेवा संबंधी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगा ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अभिकरण को बनाने वाले के प्रत्येक व्यक्ति का नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, पत्राचार के लिए पता और मुख्य व्यवसाय के बारे में सूचना देगा ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को अभिकरण को बनाने वाले के व्यक्तियों के पते में किसी परिवर्तन, प्रबंधन में परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन के सात दिनों के भीतर सूचित करेगा ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान, अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों या अभिकरण द्वारा नियुक्त या काम पर रखे गए प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षकों के विरुद्ध अभिकरण के व्यक्तियों के विरुद्ध तय किए गए आपराधिक आरोपों के बारे में नियंत्रक प्राधिकारी को तत्काल सूचित करेगा । इस संसूचना की एक प्रति उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भी भेजेगा, जहाँ आरोपी व्यक्ति निवास करता है ।

(5) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, इस नियमों में विहित शर्तों के रूप में जिन पर अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, सुरक्षा गार्डों के लिए विहित शारीरिक मानकों और उनके प्रशिक्षण की अपेक्षाओं का पालन करेगा ।

(6) इन नियमों में प्रावधान के अपवाद खंड के रूप में, अनुज्ञप्ति के अनुदत्त के लिए भुगतान की गई रकम अप्रतिदेय होगी ।

(11) **अनुज्ञप्ति का नवीकरण** --(1) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन करेगा ।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए ली जाने वाली फीस इसके अनुदत्त के लिए ली गई फीस के समान होगी ।

(12) **अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शर्तें**--- अनुज्ञप्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(क) आवेदक, नियंत्रक प्राधिकारी के अधिकारिता में अपने कारोबार का प्रधान स्थान बनाए रखता है ।

(ख) आवेदक, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को अपेक्षित प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखता है ।

(ग) आवेदक अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करना जारी रखता है ।

(घ) पुलिस को आवेदक की अनुज्ञप्ति के नवीकरण करने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

(3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के आवेदन हेतु प्ररूप वही होगा जो मूल अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन हेतु प्ररूप है ।

13. **अपील व इसकी प्रक्रिया--** (1) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील प्ररूप 7 में की जाएगी जो पीड़ित व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और इसे व्यक्तिशः या पंजीकृत डाक द्वारा अपील अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा ।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 14 के अधीन फाइल की जाने वाली अपील के लिए फीस और इसके भुगतान की विधि निधारित कर सकेगा ।

14. **अभिकरण द्वारा अनुरक्षित किया जाने वाला रजिस्टरः**

अधिनियम के अन्तर्गत, निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा अनुरक्षित किया जाने वाला रजिस्टर **प्ररूप 8** में रखेगा ।

15. **फोटो पहचान-पत्र से संबंधित मामलेः**

(1) मूल अधिनियम की धारा 17 के उपखण्ड 2 के अधीन प्रत्येक फोटो पहचान-पत्र **प्ररूप 9** जारी किया जाएगा ।

(2) फोटो पहचान-पत्र में पूरे चेहरे का रंगीन चित्र, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का पूरा नाम, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम और फोटो पहचान-पत्र जारी करने वाले व्यक्ति की पहचान संख्या होगी ।

(3) फोटो पहचान-पत्र में अभिकरण व्यक्ति की स्थिति और तारीख, जिस तक फोटो पहचान-पत्र विधिमान्य है, का स्पष्ट उल्लेख होगा ।

(4) फोटो पहचान पत्र अद्यतन रखा जाएगा और विवरण में हुए किसी भी परिवर्तन को उसमें दर्ज किया जाएगा ।

(5) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र, एक बार प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति समाप्त होने या उसे काम से हटा दिए जाने के पश्चात, जारीकर्ता अभिकरण को वापस करना होगा ।

(6) फोटो पहचान-पत्र के खो जाने या चोरी हो जाने की सूचना तत्काल जारीकर्ता प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को देनी होगी ।

16. **अन्य शर्तें**-- (1) चाहे प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी अपने निजी सुरक्षा गार्ड के लिए ड्यूटी पर यूनिफार्म पहनना अनिवार्य करे, या न करे, इसके होते हुए भी, प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने सुरक्षा गार्डों को;

(क) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का सुभेदक बाज़ू बैज ;
(ख) संगठन में उसका पद दर्शाने वाला कंधे या वक्ष का बैज ;
(ग) सीटी की डोरी से बंधी सीटी और जो बाँयी जेब में रखी जाएगी ;
(घ) फीते और सूराख़ सहित जूते ;
(ड.) सिर पर पहनने की टोपी जिस पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का सुभेदक चिह्न भी हो सकता है;

जारी करेगा और उन्हें पहनने का आबद्धक अनिवार्य करेगा ।

(2) प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह ड्यूटी पर हो, तो उसके द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र ऐसे होंगे जो उसकी दक्षतापूर्ण पालन में बाधा उत्पन्न न करें । विशेषकर, वे न तो बहुत तंग हों और न ही बहुत ढीले होंगे, जिससे उसकी गतिविधियों या अंगों को मोड़ने में बाधा हो ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड अपने पास एक नोट-बुक और एक लेखन उपकरण रखेगा ।

(4) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, जब वह सक्रिय सुरक्षा डयूटी पर हो, अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी फौटो पहचान पत्र, अपने शरीर पर किसी सहज दृश्य स्थान पर कमर से ऊपर बाहरी वस्त्र पर प्रदर्शित करते हुए धारण करेगा ।

[सं. VI-24021/14/2005-पी एम-I]

हरमिन्दर राज सिंह, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

(नियम 3 देखिए)

आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

आवेदक का अंगूठा निशान* _____

आवेदक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए		
प्ररूप संख्या	**पुलिस सत्यापन के लिए प्ररूप प्रेषित करने के लिए पुलिस थाने का नाम**	**तारीख**

फीस रकम रु. ————————नकद/मांगदेय ड्राफ्ट————————बैंक का नाम————————मांगदेय ड्राफ्ट सं.——

जारी करने की तारीख————————

कृपया फार्म भरने से पूर्व अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें । कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरें :
(सावधानः कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें । प्ररूप में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने से उम्मीदवार अनुज्ञप्ति की अनुदत्त के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है)

1. आवेदक का नाम(आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)

अंतिम नाम————————————————————प्रथम नाम ————————————————

2. यदि आपने अपने नाम में कभी कोई परिर्वतन किया है तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामों क) का उल्लेख करें

3. लिंग (पुरुष/महिला) । ———————— 4. जन्म तिथिः————————————

5. जन्म-स्थानः ग्राम/टाउन————————————ज़िला————————————राज्य व देश————————————

6. पिता का पूरा नाम/विधिक संरक्षक का पूरा नाम (कुलनाम सहित, यदि कोई हो तो)
आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)————————————————————————————————

7. माता का पूरा नाम (कुलनाम सहित, यदि कोई हो तो)
(आद्याक्षर की अनुज्ञात नहीं है)————————————————————————————

8. यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का पूरा नाम (कुलनाम सहित, यदि कोई हो तो)
(आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)————————————————————————————

9. वर्तमान आवासीय पता, गली/सड़क सं. पुलिस थाना, ग्राम तथा जिला सहित (पिन कोड संख्या भी दें) ————————————————————————————

दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या————————————————————————————

10. उपर्युक्त पते पर किस तारीख से निवास कर रहे है, लिखिएः तिथि मास वर्ष

11. स्थायी पता, गली न./थाना,ग्राम तथा जिला (पिनकोड सहित)

12. यदि आपने स्तंभ (9) में दिए गए पते पर लगातार पाँच वर्ष तक निवास नहीं किया है तो कृपया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख कीजिए । आपको पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक अतिरिक्त निवास-स्थान के लिए इस प्ररूप की अतिरिक्त फोटो प्रतियां देनी होगी । प्ररूप की फोटोप्रति दी जा सकती है, परंतु प्रत्येक प्ररूप पर मूल फोटो तथा हस्ताक्षर अपेक्षित होंगे ।

———————से ———————तक ———————से———————तक

13. विदेश में निवास के मामले में, 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनें के पश्चात आप जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया हो; उनका ब्यौरा दीजिएः

14. अन्य विवरणः

(क) शैक्षिक अर्हताएः

(ख) पूर्व में यदि किसी पद पर रहें हों तो नियोक्ता का नाम व पताः

(ग) पिछली नौकरी छोड़ने का कारणः

घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिह्न

15. क्या आपने पूर्व में किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का संचालन किया या उसके भागीदार, बहुसंख्यक शेयरधारक अथवा निदेशक रहे है? यदि हाँ, तो अभिकरण का नाम, पता तथा इसका अनुज्ञप्ति ब्यौरा दीजिए ।

16. क्या आप जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक है ? यदि आपके पास कोई अन्य नागरिकता थी, कृपया पूर्व की नागरिक्ता का उल्लेख करें ?

17. क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोष सिद्ध और कारावास के दंडादिष्ट किए गए हैं ? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रति संलग्न कीजिए)

18 क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाहियां लंबित है ? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिस ।

19. स्वतः घोषणाः

इस प्ररूप तथा संलग्नकों में गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णत्या उत्तरदायी हूँ ।

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान*)

तारीख

स्थान————————

20. संलग्नकः

IndiaCode

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान*)

(* पुरुष बाँए अंगूठे का तथा महिलाएं दाँए अंगूठे का निशान लगाएं)

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए

फाइल संख्याः ————————————

चरित्र और पूर्ववृत्त रिपोर्ट जारी करने की तारीखः————————————

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

थाने का नाम ————————————

पुलिस ज़िले का नाम ————————————

टिप्पणीः जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्ररूप 2

(नियम 4 देखिए)

सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइज़र के
चरित्र व पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

आवेदक का अंगूठा निशान* _____

आवेदक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालय द्वारा प्रयोग के लिए		
प्ररूप संख्या	**पुलिस सत्यापन के लिए प्ररूप प्रेषित करने के लिए पुलिस थाने का नाम**	**तारीख**

फीस रकम रु. ————नकद/मांगदेय ड्राफ्ट————बैंक का नाम————मांगदेय सं.————

जारी करने की तारीख————

कृपया प्ररूप भरने से पूर्व अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़े । कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरें :
(सावधानः कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें । फार्म में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने से उम्मीदवार निजी एजेंसी में नियुक्ति/काम पर लगाने हेतु अनुपयुक्त माना जाएगा) ।

1. आवेदक का नाम जैसाकि फोटो पहचान-पत्र में होगा(आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)

अंतिम नाम————————————प्रथम नाम ————————————

2. यदि आपने अपने नाम में कभी कोई परिवर्तन किया है तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामों क) का उल्लेख करें

3. लिंग (पुरुष/महिला) । ———— 4. जन्म तिथिः————

5. जन्म-स्थानः ग्राम/टाउन————जिला————राज्य व देश————

6. पिता का पूरा नाम/विधिक संरक्षक का पूरा नाम(कुलनाम सहित, यदि कोई हो) आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)

7 माता का पूरा नाम (कुलनाम सहित, यदि कोई हो तो) (आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)

8 यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का पूरा नाम (कुलनाम सहित, यदि कोई हो तो)(आद्याक्षर अनुज्ञात नहीं है)

9 वर्तमान आवासीय पता, गली/सड़क सं. पुलिस थाना, ग्राम तथा जिला सहित (पिन कोड संख्या भी दें) ————————————

दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या————————————

10. उपर्युक्त पते पर किस तारीख से निवास कर रहे है, लिखिएः तिथि मास वर्ष

11. स्थायी पता, गली न./थाना, ग्राम तथा जिला (पिनकोड सहित)

12. यदि आपने स्तंभ (9) में दिए गए पते पर लगातार पाँच वर्ष तक निवास नहीं किया है तो कृपया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख कीजिए । आपको पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक अतिरिक्त निवास-स्थान के लिए इस प्ररूप की अतिरिक्त फोटो प्रतियां देनी होगी । प्ररूप की फोटोप्रति दी जा सकती है, परंतु प्रत्येक प्ररूप पर मूल फोटो तथा हस्ताक्षर अपेक्षित होंगे ।

_____से _____तक _____से_____तक

13. विदेश में निवास के मामले में, 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनें के पश्चात आप जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया हो, उनका ब्यौरा दीजिएः

14. अन्य विवरणः

(क) शैक्षिक अर्हताः

(ख) पूर्व में यदि किसी पद पर रहें हों तो नियोक्ता का नाम व पताः

(ग) पिछली नौकरी छोड़ने का कारणः

घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिह्न_____

च) ऊँचाई (सेमी में)_____

15. क्या आप केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कानूनी निकाय में सेवारत् हैं - हाँ/नहीं

16. क्या आप जन्म/विरासत/ रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक है ? यदि आपके पास कोई अन्य नागरिकता थी तो कृपया पूर्व की नागरिक्ता का उल्लेख करें ? _____

17. क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा दांडिक अपराध के लिए दोष सिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किए गए हैं ? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम वाद संख्या तथा दांडिक अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रति संलग्न कीजिए)

18. क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाहियां लंबित है ? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए ।

19. क्या किसी न्यायालय द्वारा कोई वारंट या उपस्थिति के लिए सम्मन या गिरफ्तारी के वारंट अथवा भारत से बाहर जाने की निषेधाज्ञा जारी की गई है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए । ———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

20. स्वतः घोषणाः

इस प्ररूप तथा संलग्नकों में दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूँ ।

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान*)

तारीख

स्थान———————

21. मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में सूचना देने के लिए व्यक्ति का ब्यौराः

नाम ———————————————————————————————————————

पता ———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

मोबाइल नंबर/दूरभाष नंबर———————————————————————

22. अनुलग्नकः———————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

IndiaCode

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान*)

(* पुरुष बाँये हाथ के अंगूठे का एवं महिलां दाँये हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं)

***केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए**

फाइल संख्याः ———————————————

चरित्र और पूर्ववृत्त रिपोर्ट जारी करने की तारीखः———————————

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

थाने का नाम ———————————

पुलिस ज़िले का नाम ———————————————

टिप्पणीः जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्ररूप 3

(नियम 4 देखिए)

चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री---------- पुत्र/पुत्री----------, जिसका ब्यौरें निम्नलिखित है, अच्छे नैतिक चरित्र और अच्छी ख्याति के हैं, और पिछले एक वर्ष से निम्न पते पर लगातार निवास कर रहा है ।

जन्म तिथिः

जन्म स्थानः

शैक्षिक अर्हताः

व्यवसायः

वर्तमान पताः

स्थायी पताः

जारीकर्ता प्राधिकारी

हस्ताक्षर

नामः

पदनामः

पता/दूरभाष संख्याः

जारी करने की तारीखः

IndiaCode

प्ररूप 4

(नियम 5 देखिए)

प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र

क्रम संख्या

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम
प्रशिक्षण अभिकरण का पता

अनुज्ञप्ति संख्या

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री———————————————
पुत्र/पुत्री श्री———————————————, निवासी:———————————————
———————————————ने ———————से ———————तक
प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्ति या काम पर रखे जाने के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पूरा कर लिया है ।

उसके हस्ताक्षर नीचे साक्ष्यांकित हैं ।

प्रमाण-पत्रधारी के हस्ताक्षर

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

जारी करने का स्थान:
जारी करने की तारीख:

प्ररूप 5

(नियम 8 देखिए)

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय करने के लिए नई अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन -पत्र

सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी

अधोहस्ताक्षरी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के क्षेत्र में प्रचालन सेवाओं का कारबार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है—

1. आवेदक का पूरा नाम
2. आवेदक की राष्ट्रीयता
3. पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
4. आवासीय पता
5. पता जहाँ आवेदक अपना अभिकरण प्रारंभ करने का इच्छुक है ।
6. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम
7. अभिकरण के स्वतःधारी, भागीदार, बहुसंख्यक शेयरधारक, निदेशक तथा अध्यक्ष का नाम तथा पता ।
8. उपलब्ध सुविधाओं का नाम और विस्तार
9. अनुदेश देने के लिए लगे कर्मचारीवृंदों की अर्हताएं;

 नाम———————————

 आयु———————————

 पदनाम———————————
10. सुरक्षा सेवाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपस्कर

 (क) द्वार पर लगाए जाने वाले धातु संसूचक

 (ख) हाथ वाले धातु संसूचक

 (ग) बारूदी सुरंग संसूचक

 (घ) अन्य संसूचक

 (i) बेतार दूरभाष

 (ii) संचेतक युक्तियां

 (iii) बख्तरबंद यान

 (iv)शस्त्र

11. वर्दी के ब्यौरे जिसके अंतर्गत रंग भी है यदि आवेदक के निजी सुरक्षा गार्डों पर्यवेक्षकों के लिए कोई वर्दी प्रयोग करने का आशय रखता है:

12. क्या आवेदक एक से अधिक ज़िलों में प्रचालन का इरादा रखता है? यदि हाँ, तो ज़िलों के नाम

1.————————2.————————3.————————4.————————5.————————

13. क्या आवेदक संपूर्ण राज्य में प्रचालन का इरादा रखता है?

14. क्या आवेदक स्वयं प्रशिक्षण सुविधा रखता है अथवा बाहर से प्रशिक्षण दिलाएगा? प्रशिक्षण सुविधा देने वाले का नाम व पता दीजिए ।

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम
आवेदक का पता
आवेदक का दूरभाष नंबर
आवेदन की तारीख

अनुलग्नक:

1. चालू आयकर निकासी प्रमाण-पत्र की प्रति
2. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में यथाविहित शपथ-पत्र
3. अन्य संलग्नक

प्ररूप 6

(नियम 8 देखिए)

राज्य सरकार का नाम--------

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने के लिए अनुज्ञप्ति

क्रम संख्या----------

तारीख----------

श्री/सुश्री----------(आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री----------

----------निवासी----------को ----------पते पर

(कार्यालय का पता)

स्थित कार्यालय से ----------ज़िले/राज्य (जो लागू न हो उसे काट दें) में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय के प्रचालन के लिए ----------राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है ।

जारी करने का स्थानः

जारी करने की तारीखः

यह अनुज्ञप्ति ----------तक वैध है ।

हस्ताक्षर
अनुदत्त प्राधिकारी का नाम
पदनाम
कार्यालय का पता

नवीकरण

(नियम 8 देखिए)

नवीकरण की तारीख अवसान की तारीख

हस्ताक्षर
नवीकरण प्राधिकारी का नाम
पदनाम
कार्यालय का पता

प्ररूप 7

(नियम 9 देखिए)

अपील के लिए प्ररूप

अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील

अपीलकर्ता----------

पुत्र/पुत्री----------निवासी----------

बनाम

नियंत्रक प्राधिकारी/----------

तारीख----------के ----------(नियंत्रक प्राधिकारी के) के आदेश, और ----------(प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम) के प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति अस्वीकार किए जाने के आदेश के विरुद्ध, उपर्युक्त अपीलकर्ता ---------- (राज्य के गृह सचिव) को अपील करते हैं, और आदेश के विरुद्ध आपत्ति के निम्न आधार दिए गए हैं ।

1. ----------
2. ----------
3. ----------
4. ----------

संलग्नक दस्तावेज़ों की सूचीः

हस्ताक्षर
अपीलकर्ता का नाम व पदनाम

तारीखः
स्थानः

प्ररूप-8

(नियम 10 देखिए)

ब्यौरा - रजिस्टर

(भाग-I प्रबंधन विवरण)

क्रम संख्या	अभिकरण का प्रबंध देखने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम	माता-पिता/पिता का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष संख्या	स्थायी पता	राष्ट्रीयता	अभिकरण में नियुक्ति /छोड़ने की तारीख

(भाग-II प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तथा सुपरवाइजर)

क्रम संख्या	गार्ड/पर्यवेक्षक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष संख्या	अभिकरण में नियुक्ति/छोड़ने की तारीख	स्थायी पता	फोटोग्राफ	बैज संख्या	तारीख सहित वेतन
1.								
2.								

(भाग-III ग्राहक)

क्रम संख्या	ग्राहक का नाम और फोन नंबर	स्थान का नाम जहाँ सुरक्षा प्रदान की जाती है	उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड की संख्या और रैंक	सेवा प्रारंभ करने की तारीख	सेवा समाप्ति की तारीख

(भाग - IV ड्यूटी रोस्टर)

क्रम संख्या	प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक का नाम	ड्यूटी स्थान का पता	क्या कोई शस्त्र/गोला-बारूद उपलब्ध कराए गए हैं	ड्यूटी प्रारंभ करने की तारीख और समय	ड्यूटी समाप्त करने की तारीख और समय

प्ररूप - 9

(नियम 11 देखें)

निजी सुरक्षा/पर्यवेक्षक के लिए फोटो -पहचान-पत्र

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम----------

नाम----------

कार्यालय पदनाम----------

पहचान संख्या----------

जारी करने की तारीख----------

----------तक वैध है ।

पहचान -पत्रधारक के हस्ताक्षर ----------

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय की मोहर

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2006

S.O. 617(E).—In exercise of powers conferred by section 24 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Act 29 of 2005), the Central Government hereby makes the following model rules, namely :-

1. **Short title and Commencement.** - (1) These Rules may be called the Private Security Agencies Central Model Rules, 2006.

(2)They will come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these Rules, unless the context otherwise requires,-

(a)"Act" means the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005;

(b)"Agency" means the Private Security Agency;

(c)"Controlling Authority" means, the Controlling Authority so declared under the Act.

(d)"Form" means, a Form appended to these Rules.

(e)"License" means a license granted under the Act

(f) words and expressions not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Verification of the antecedents of the applicants. - (1) Every applicant while making an application to the Controlling Authority for the issue of a fresh license or renewal shall enclose the Form I for verification of his antecedents. If the application is a company, a firm or an association of persons, the application shall be accompanied by Form I for every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they were also the applicants.

Corrigendum at pg. 50

(c) by relying on the report received from the police authorities signed under the authority of the District Superintendent of Police or an officer of the equivalent or higher rank.

(2) The person desirous of getting employed or engaged as security guard or supervisor shall submit Form II to the Agency. If the person has stayed in more than one District during the last five years, the number of forms will be as many as Districts.

(3) The Agency shall cause an inquiry into the correctness of the particulars filled in either by itself or by sending the form to the respective District Superintendent of police.

(4) The State Government may prescribe the form and the manner in which the fee is to be deposited for the service of character and antecedent verification by police.

(5) The police will establish identity of the individual and verify the character and antecedents of the person by making a visit to the locality where the person claims to have resided or residing and ascertain his identity and reputation from the respectable residents of the locality. They will also consult the police station record of the concerned police station and other records at the District Police Headquarter before preparing the character & antecedents verification report. This report will contain the comments of the police on every claim of the person in character and antecedent Form and also a general report about his activities including means of livelihood in the period of verification. The police will specifically state if there is a criminal case registered against the person at any point of time or if he has ever been convicted of criminal offence punishable with imprisonment

(6) The police will specifically comment if the engaging or employing the person under verification by the Private Security Agency will pose a threat to National Security.

(7) The police authorities shall ensure that character and antecedent verification report is issued within ninety days of the receipt of the character and antecedent form.

(8) The report of the police regarding character and antecedents of a person will be graded as confidential. It will be addressed in named cover to a designated officer of the Security Agency requesting for character and antecedents.

(9) Character and antecedents verification report once issued will remain valid for three years.

(10) On the basis of police verification and on the basis of their own verification, the Agency shall issue in Form III a character certificate and this certificate will not be taken back by such Agency even if the person ceases to be the employee of that Agency.

5. **Security training.**— (1) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training the security guards. This training shall be for a minimum period of hundred hours of classroom instruction and sixty hours of field training, spread over at least twenty working days. The ex-servicemen and former police personnel shall however be required to attend a condensed course only, of minimum forty hours of classroom instructions and sixteen hours of field training spread over at least seven working days.

(2) The training will include the following subjects, namely:—

(a) conduct in public and correct wearing of uniform;

(b) physical fitness training;

(c) physical security, security of the assets, security of the building or apartment, personnel security, household security;

(d) fire fighting;

(e) crowd control;

(f) examining identification papers including identity cards, passports and smart cards;

(g) should be able to read and understand English alphabets and Arabic numerals as normally encountered in the identification documents, arms licence, travel documents and security inspection sheet;

(h) identification of improvised explosive devices;

(i) first-Aid;

(j) crisis response and disasters management;

(k) defensive driving (compulsory for the driver of Armored vehicle and optional for others);

(l) handling and operation of non-prohibited weapons and firearms (optional);

(m) rudimentary knowledge of Indian Penal Code, right to private defense, procedure for lodging first information report in the police station, Arms Act (only operative sections), Explosives Act (operative sections);

(n) badges of rank in police and military forces;

(o) identification of different types of arms in use in public and Police;

(p) use of Security equipments and devices (for example; security alarms and screening equipments); and

(q) leadership and management (for supervisors only).

(3) The security guard will have to successfully undergo the training prescribed by the competent Authority. On completion of the training each successful trainee will be awarded a certificate in Form IV by the training Institute or organization.

(4) The competent Authority will inspect the functioning of training facility from time to time either by itself or through its own officers. Normally such inspection will be conducted at least two times every year.

(5) All the Agencies shall submit a list of successful trainees to the Controlling Authority in the manner prescribed by it.

6. Standard of physical fitness for security guards.— (1) A person shall be eligible for being engaged or employed as security guard if he fulfill the standards of physical fitness as specified below:—

(i) Height, 160 cms (for Female 150 cms), Weight according to standard table of height and weight, chest 80 cms with an expansion of 4 cms (for females no minimum requirement for chest measurement).

(ii) Eye sight: far sight vision 6/6, near vision 0.6/0.6 with or without correction, free from color blindness should be able to identify and distinguish color display in security equipments and read and understand display in English alphabets and Arabic numerals.

(iii) Free from knock knee and flat foot and should be able to run one Kilo Meter in six minutes.

(iv) Hearing: free from defect; should be able to hear and respond to the spoken voice and the alarms generated by Security equipments.

(v) The candidate should have dexterity and strength to perform searches, handle objects and use force for restraining the individuals in case of need.

(2) A candidate should be free from evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public.

(3) Agency shall ensure that every security guard working for it undergoes a medical examination after every twelve months from his last such examination so as to ensure his continued maintenance of physical standard as prescribed for the entry level.

7. Provision for Supervisors.— (1) There shall be one supervisor to supervise the work of not more than fifteen private security guards.

(2) In case the private security guards are on security duty in different premises and it is not practical to supervise their work by one supervisor, the Agency shall depute more number of supervisors so that at least for every six private security guards there is one supervisor available for assistance, advice and supervision.

8. Manner of making application for grant of licence.— (1) Every application by an Agency for the grant of a licence under clause (1) of section 7 of the Act, shall be made to the Controlling Authority in the format prescribed in Form V.

(2) Every application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by a demand draft or banker's cheque showing the payment of fees as prescribed under clause (3) of section 7, payable to the Controlling Authority of the state concerned where the application is being made.

(3) Every application referred to in sub-rule (1) shall be either personally delivered to the Controlling Authority or sent to him by registered post.

(4) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Controlling Authority shall after noting thereon the date of receipt by him of the application, grant an acknowledgement to the applicant.

9. **Grant of licence.**— (1) The Controlling Authority, after receiving an application under sub-rule (1) of rule 8 shall grant a licence to the private security agency in Form VI after completing all the formalities and satisfying itself about the suitability of the applicant and also the need for granting the licence for the area of operation applied for.

(2) The Controlling Authority either by itself or through its officers may verify the training and skills imparted to the private security guards and supervisors of any private security agency.

(3) The Controlling Authority may review the continuation or otherwise of licence of such security agencies which may not have adhered to the conditions of ensuring the required training.

10. **Conditions for grant of licence.—** (1) The licencee shall successfully undergo a training relating to the private security service as prescribed by the Controlling Authority within the time frame fixed by it.

(2) The licencee shall intimate the name, parentage, date of birth, permanent address, address for correspondence and the principle profession of each person forming the Agency within fifteen days of receipt of the license to the Controlling Authority.

(3) The licencee shall inform the Controlling Authority regarding any change in the address of persons forming the Agency, change of management within seven days of such change.

(4) The licensee shall immediately intimate to the Controlling Authority about any criminal charge framed against the persons forming the Agency or against the private security guard or supervisor engaged or employed by the Agency, in the course of their performance of duties as private security agency. A copy of such communication shall also be sent to the officer in charge of the police station where the person charged against resides.

(5) Every licencee shall abide by the requirements of physical standards for the private security guards and their training as prescribed in these rules as the condition on which the licence is granted.

(6) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of licence shall be non-refundable.

11. **Renewal of licence.—** (1) Every Agency shall apply to the Controlling Authority for renewal of the licence.

(2) The fees chargeable for renewal of the licence shall be the same as for the grant thereof.

12. **Conditions for renewal of licence.—** The renewal of the licence will be granted subject to the following conditions:-

(i) The applicant continues to maintain his principle place of business in the jurisdiction of the Controlling Authority.

(ii) The applicant continues to ensure the availability of the training for its private security guards and superiors required under sub section (2) of section 5 of the Act.

(iii) The applicant continues to adhere to the license conditions.

(iv) The police have no objection to the renewal of the license to the applicant.

(3) The form for application of renewal of licence will be same as the form for the application for original licence.

13. **Appeals and procedure.**— (1) Every appeal under sub-section (1) of section 14 of the Act shall be preferred in Form VII signed by the aggrieved person or his authorized advocate and presented to the appellate officer in person or sent to him by registered post.

(2) The Controlling Authority may prescribe a fee for the appeal to be filed under section 14 of the Act and the manner in which such fee will be paid.

14. **Register to be maintained by the Agency.**— The register required to be maintained under the Act by the Agency shall be in Form VIII.

15. **Photo identity card.**— (1) Every photo identity card issued by the Agency under sub-section (2) of section 17 shall be in Form IX.

(2) The photo identity card shall convey a full-face image in color, full name of the private security guard, name of the Agency and the identification number of the individual to whom the photo identity card is issued.

(3) The photo identity card shall clearly indicate the individual's position in the Agency and the date up to which the photo-identity card is valid.

(4) The Photo identity card shall be maintained upto date and any change in the particulars shall be entered therein.

(5) The photo-identity card issued to the private security guard will be returned to the Agency issuing it, once the private security guard is no longer engaged or employed by it.

(6) Any loss or theft of photo-identity card will be immediately brought to the notice of the Agency that issued it.

16. **Other conditions.**—(1) Notwithstanding whether the Agency mandates its private security guards to put on uniform while on duty or not, every private security agency will issue and make it obligatory for its security guards to put on:

(a) an arm badge distinguishing the Agency;
(b) shoulder or chest badge to indicate his position in the organization;
(c) whistle attached to the whistle cord and to be kept in the left pocket;
(d) shoes with eyelet and laces;
(e) a headgear which may also carry the distinguishing mark of the Agency;

(2) The clothes worn by the private security guard while on active duty shall be such that they do not hamper in his efficient performance. In particular they will neither be too tight nor too loose as to obstruct movement or bending of limbs.

(3) Every private security guard will carry a notebook and a writing instrument with him.

(4) Every private security guard while on active security duty will wear and display photo-identity card issued under section 17 of the Act, on the outer most garment above waist level on his person in a conspicuous manner.

[No. VI-24021/14/2005-PM-I]
HARMINDER RAJ SINGH, Jt. Secy.

Form I

(*see rule 3*)

Form for verification of Antecedents of Applicant

Thumb Impression* of the Applicant ----------

Signature of the Applicant ----------

For official use only			
Form number		**Name of the police station sent for police verification**	**Date**

Fee Amount Rs. ----------Cash /D.D. ----------Name of Bank ----------
D.D No. ----------

Date of Issue ----------

Please read the instructions carefully before filling the form. Please fill in BLOCK LETTERS: (CAUTION: Please furnish correct information. Furnishing of incorrect information or suppression of any factual information in the form will render the candidate unsuitable for grant of license)

1. Name of applicant (Initials not allowed)

Last name ---------- First name----------

2. If you have ever changed your name, please indicate the previous name(s) in full

3. Sex (male / female). --- 4.Date of Birth: ----------

5. Place of Birth: Village / Town ----------
District , ----------State &Country ----------

6. Father's Full Name/ Legal Guardian's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed) ----------

7. Mother's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed)

8. If married, Full Name of Spouse (including surname, if any). (Initials not allowed)

9. Present Residential Address, including Street No./police station, village and District (with PIN code)

Telephone No./Mobile No.----------

10. Please give the date since residing at the above-mentioned address: DD MM YYYY

IndiaCode

11. Permanent Address including Street No./police station, village and District (with PIN code)

12. If you have not resided at the address given at COLUMN (9) continuously for the last five year, please furnish the other address (addresses) with duration(s) resided. You should furnish additional photocopies of this form for each additional place of stay during the last five year. Forms may be photocopied, but photograph and signature in original are required on each form.

FromTo..... From To

13. In case of stay abroad particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of twenty-one years

14. Other Details:

(a) Educational Qualifications :

(b) Previous positions held if any along with name and address of employers :

(c) Reason for leaving last employment :

(d) Visible Distinguishing Mark :

15. Did you earlier operated any Private Security Agency or were its partner, majority shareholder or Director ? If yes then furnish the name, address of the Agency and its license particulars.

16. Are you a citizen of India by: Birth/ Descent/Registration/Naturalisation : If you have ever possessed any other citizenship, please indicate previous citizenship _____

17. Have you at any time been convicted by a court in India for any criminal offence and sentenced to imprisonment? If so, give name of the court, case number and offence. (Attach copy of judgment)

.....

.....

18. Are any criminal proceedings pending against you before a court in India? If so, give name of court, case number and offence

.....

.....

.....

19. Self- Declaration:

The information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible for accuracy.

(Signature/T.I* of applicant)

Date

Place

20. Enclosures:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(Signature / T.I*. of applicant)

(*Left Hand Thumb Impression if Male and Right Hand Thumb Impression if Female)

<u>FOR OFFICE USE ONLY</u>

File No. ::

Date of issue of C&A Report ..°_____

(Signature of Police station In charge)
Name of Police Station_____
Name of Police district_____

*N.B. Cancel whatever is not applicable.

Form II

(See rule 4)

Form for verification of Character and antecedents Of Security Guard and Supervisor

Thumb Impression* of the Applicant ----------

Signature of the Applicant ----------

For official use only			
Form number		**Name of the police station send for police verification**	**Date**

Fee Amount Rs. ----------Cash /D.D ----------Name of Bank ----------

D.D No. ----------

Date of Issue ----------

Please read the instructions carefully before filling the form. Please fill in BLOCK LETTERS: (CAUTION: Please furnish correct information. Furnishing of incorrect information or suppression of any factual information in the form will render the candidate unsuitable for employment /engagement in the Private Agency.)

1. Name of applicant as should appear in the photo-identity card (Initials not allowed)

Last name ---------- First name----------

2. If you have ever changed your name, please indicate the previous name(s) in full

3. Sex (male/female). --- 4.Date of Birth: ----------

5. Place of Birth: Village / Town ----------

District , ----------State &Country ----------

6. Father's Full Name/ Legal Guardian's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed) ----------

7. Mother's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed)

8. If married, Full Name of Spouse (including surname, if any). (Initials not allowed)

9. Present Residential Address, including Street No./police station, village and District (with PIN code)

Telephone No./Mobile No.----------

10. Please give the date since residing at the above mentioned address: DD/MM/YYYY

11. Permanent Address including Street No./police station, village and District (with PIN code)

12. If you have not resided at the address given at COLUMN (9) continuously for the last five year, please furnish the other address (addresses) with duration(s) resided. You should furnish additional photocopies of this form for each additional place of stay during the last five year. Forms may be photocopied, but photograph and signature in original are required on each form.

FromTo..... From To

13. In case of stay abroad particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of twenty-one years

14. Other Details:

(a) Educational Qualifications

(b) Previous posts held along with name and address of employer

(c) Reason for leaving last employment

(d)Visible Distinguishing Mark

(e)Height(cms)----------

15. Are you working in Central Government/ State Govt/ PSU/ Statutory Bodies Yes/ No

16. Are you a citizen of India by: Birth/Descent/Registration/Naturalisation If you have ever possessed any other citizenship, please indicate previous citizenship _____

17. Have you at any time been convicted by a court in India for any criminal offence & sentenced to imprisonment? If so, give name of the court, case number and offence. (Attach copy of judgment)

.....

.....

18. Are any criminal proceedings pending against you before a court in India? If so, give name of court, case number and offence

.....

.....

.....

.....

19. Has any court issued a warrant or summons for appearance or warrant for arrest or an order prohibiting your departure from India? If so, give name of court, case number and offence.

.....

.....

.....

.....

20. Self Declaration:

The information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible for accuracy.

(Signature/T.I.* of applicant)

(*Left Hand Thumb Impression if Male and Right Hand Thumb Impression if Female)

Date
Place

21 . Particulars of person to be intimated in the event of death or accident:

Name
Address
.....
.....
.....
.....
Mobile / Tel. No.
.....

22 Enclosures:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Signature / T.I. of applicant)

*FOR OFFICE USE ONLY
File No. :

Date of issue of C&A Report.._____

(Signature of Police station In charge)
Name of Police Station_____
Name of Police district_____

* N.B. Cancel entries not applicable.

1265GI/2006—6

Form –III

(See rule 4)

CHARACTER AND ANTECEDENT CERTIFICATE

This is to certify that Mr./Ms. , Son/Daughter of ----------

Whose particulars are given below has good moral character and reputation and that the applicant has been staying at the following address continuously for the last one year.

Date of Birth

Place of Birth

Educational Qualification :

Profession :

Present Address

Permanent Address

Issuing Authority

Signature

Name
Designation

Address/Tel.No.

Date of Issue

IndiaCode

Form IV
(See rule 5)

Training Certificate

Serial number

Name of the Training Agency
Address of the Training agency
License No.

Certified that _____ son/daughter of _____ resident of _____ has completed the prescribed training for the engagement or employment as a Private Security Guard from ___ till ____.

His signature is attested below.

Signature of the Certificate Holder

Signature of issuing authority
Designation

Place of issue
Date of issue

Form V

(See rule 8)

APPLICATION FOR NEW LICENCE /RENEWAL OF LICENCE TO ENGAGE IN THE BUSINESS OF PRIVATE SECURITY AGENCY

To

The Controlling Authority

The undersigned hereby applies for obtaining a license to run the business of operating services in the area of Private Security Agencies

1. Full name of the applicant :

2. Nationality of the applicant :

3. Son/wife/daughter of :

4. Residential Address :

5. Address ,where the applicant desires to start his Agency :

6. Name of the Private Security Agency :

7. Name and addresses of Proprietor, partner, Majority shareholder, Director and Chairman of the Agency :

8. Name and extent of facilities available :

9. Qualifications of staff engaged for imparting instructions;

Name----
Age-----
Designation--------

IndiaCode

10. Equipments which will be used for Security services

(a) Door Framed Metal Detector (DFMD)
(b) Hand Held Metal Detector (HHMD)
(c) Mine detector
(d) Other Detectors
(i) Wireless Telephones
(ii) Alarm Devices
(iii) Armored Vehicles
(iv) Arms

11. The particulars of the uniform including color in case the applicant intends to use any uniform for the Private Security Guards and Supervisors of the Agency :

12.Does the applicant intends to operate in more than one districts ? If so the name of the Districts 1._____2._____3._____4._____5._____

13.Does the applicant intend to operate in the entire state?

14.Does the applicant possesses the training facility in its own or will get it on outsourcing basis? The name and address of training facility should be furnished.

Signature
Name of the applicant
Address of the application
Telephone number of the applicant
Date of application

Enclosure:
1. Copy of current Income tax Clearance Certificate
2. Affidavit as prescribed in Section 7 sub-section (2) of the Act
3. Other enclosures

From VI

(See rule 8)

GOVERNMENT OF _____

License to engage in the business of Private Security Agency

Serial No---------

Date----------

Shri.----------(name of the Applicant)

S/o ----------r/o----------

----------(Full Address)----------

----------is granted the license by the Controlling Officer for the State of ---------- to run the business of Private Security Agency in the district(s) of / State of (Strike of the inapplicable words) ----------

----------with office at(address of the office)

Place of Issue ----------

Date of issue ----------

This license is valid up to ----------

Signature
Name of granting Authority
Designation
Official Address

RENEWAL

(See rule 8)

Date of Renewal — Date of expiry

1.
2.
3.
4.

Signature
Name of renewing Authority
Designation
Official Address

Form VII

(See rule 9)

Form for Appeal

An Appeal under section 14 of the Act

Appellant _____

S/o _____ r/o _____

Versus

Controlling authority/_____

The _____ above named appeal to the _____ (State Home Secretary) _____ from the order of (Controlling Authority) dated ____ day of _____ and against refusal of license to run Private Security Agency_____ and sets forth the following grounds of objection to the order appeal from namely _____

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Enclosed list of documents

Signature
Name and Designation of the Appellant

Date

Place

Form VIII

(See rule 10)

Register of Particulars

(Part –I Management details)

S.No.	Name of person(s) managing the Agency	Parent's/ Father's name	Present address& phone no.	Permanent Address	Nationality	Date of joining/leaving the Agency
1.						

(Part II Private Security Guards and Supervisor)

Sl. No.	Name of Guard/ Supervisor	Father's name	Present address & phone no.	Date of Joining/ leaving the Agency	Permanent Address	Photo-graph	Badge No.	Salary with date
1.								
2.								

(Part III Customers)

Sl.No.	Name of the Customer & phone no.	Address of the place where Security is provided	Number and ranks of Security Guards provided	Date of commencement of services	Date of discontinuation of services

(Part IV Duty Roster)

S.No.	Name of the Private Security Guard /Supervisor	Address of the place of duty	Whether provided with any arms/ammunition	Date and time of commencement of duty	Date and time of ending of duty

Form IX

(See rule 11)

Photo-Identity card for Private Security Guard/Supervisor

(Name of the Private Security Agency)

Name ----------

Official Designation----------

Identification no. ----------

Date of issue ----------

Valid up to ----------

Signature of the cardholder----------

Signature of the
issuing authority

Official seal